

पकुलाराय पक्षकारान संपस्थित / पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में होने से प्रकरण दिनांक 30.5.24 को पेश हैं।

आज्ञा से  
(1)  
सीकर

30.5.24

पत्रावली पेश हुई थी प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित नहीं पत्रावली तामिल में नियत है प्रार्थी अधिवक्ता को तामिल हेतु सब अवसर दिया जाता है।

पत्रावली वाले तामिल दिनांक 12.6.24 को पेश है।

(1)

12.6.24

पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता अनुपाधिक प्रकरण का मूल वाद अदम-हाजरी-अदम पैरवी में खरिज हो चुका है जिससे इस प्रकरण में सब छोड़े कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः प्रार्थनापत्र भी आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम-हाजरी-अदम पैरवी में खरिज किया जाता है निर्णय करे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फंसलशुमार होना नम्बर से कम है।

(रिया डबि)  
IAS